भाग-III

हरियाणा सरकार

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मार्च, 2016

संख्या सा० का० नि० 8/संवि०/अनु० 309/2016.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मत्स्य पालन विभाग, राज्य सेवा ग्रुप क नियम, 1980, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा मत्स्य पालन विभाग राज्य सेवा ग्रुप क (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मत्स्य पालन विभाग राज्य सेवा ग्रुप क नियम, 1980 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(ख) संयुक्त निदेशक मत्स्य की दशा में, उप निदेशक मत्स्य, उप निदेशक मत्स्य (हैचरी), उप निदेशक मत्स्य (सांख्यिकी), जिला मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म प्रबन्धक, मत्स्य अनुसंधान अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा;"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	निदेशक मत्स्य पालन	–	**पदोन्नति द्वारा–** (i) केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुम्बई से दो वर्ष के उपाधि–पत्र सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर/ मत्स्य और मत्स्य पालन में विशेषज्ञता सहित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर ; (ii) संयुक्त निदेशक मत्स्य के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; या उप निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (हैचरी)/ उप निदेशक मत्स्य (सांख्यिकी) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर या इसके समकक्ष; (ii) राज्य या केन्द्रीय सरकार में ग्रुप क सेवा में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें से योजना, विकास तथा विस्तार में पांच वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
2.	संयुक्त निदेशक मत्स्य	–	**पदोन्नति द्वारा–** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर/ मत्स्य और मत्स्य पालन में विशेषज्ञता सहित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर ; या केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई से दो वर्ष के उपाधि–पत्र सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक ; और (ii) उप निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (हैचरी)/उप निदेशक मत्स्य (सांख्यिकी) के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; या जिला मत्स्य अधिकारी/मत्स्य फार्म प्रबन्धक/ मत्स्य अनुसंधान अधिकारी के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ;
3.	उप निदेशक मत्स्य, उप निदेशक मत्स्य (हैचरी), उप निदेशक मत्स्य (सांख्यिकी)	I. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर/ मत्स्य और मत्स्य पालन में विशेषज्ञता सहित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर ; या केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) से मत्स्य स्त्रोत प्रबन्धन या अन्तर्देशीय मत्स्य पालन में मास्टर डिग्री; या केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि–पत्र (दो वर्षीय) सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातक/एक विषय के रूप में जीवविज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक ; (ii) मत्स्य पालन प्रशासन, विकास, योजना, अनुसंधान तथा प्रबन्धन में राज्य या केन्द्रीय सरकार में ग्रुप ख अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; या	**पदोन्नति द्वारा–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातक/ एक विषय के रूप में जीव विज्ञान सहित विज्ञान स्नातक ; और (ii) जिला मत्स्य अधिकारी/मत्स्य फार्म प्रबन्धक/ मत्स्य अनुसंधान अधिकारी के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर/ मत्स्य और मत्स्य पालन में विशेषज्ञता सहित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर ; या केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) से मत्स्य स्त्रोत प्रबन्धन या अन्तर्देशीय मत्स्य पालन में मास्टर डिग्री; या केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि–पत्र (दो वर्षीय) सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में, मत्स्य विज्ञान में स्नातक/एक विषय के रूप में जीवविज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक ; (ii) मत्स्य पालन प्रशासन, विकास, योजना, अनुसंधान तथा प्रबन्धन में ग्रुप ख सेवा में पांच वर्ष का अनुभव ;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
		II (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान से एक वर्षीय मत्स्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातक/ एक विषय के रूप में जीवविज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक ; (ii) मत्स्य पालन प्रशासन, विकास, योजना, अनुसंधान तथा प्रबन्धन में राज्य या केन्द्रीय सरकार में ग्रुप ख अधिकारी के रूप में छह वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ;	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान से एक वर्षीय मत्स्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स के रूप में मत्स्य विज्ञान में स्नातक/एक विषय के रूप में जीवविज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक ; (ii) मत्स्य पालन प्रशासन, विकास, योजना, अनुसंधान तथा प्रबन्धन में राज्य या केन्द्रीय सरकार में ग्रुप ख अधिकारी के रूप में छह वर्ष का अनुभव ; और (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ;''।

विरेन्द्र सिंह कुण्डू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
मत्स्य पालन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FISHERIES DEPARTMENT

Notification

The 9th March, 2016

No. G.S.R. 8/Const./ Art. 309/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Fisheries Department, State Service Group A Rules, 1980, namely: -

1. These rules my be called the Haryana Fisheries Department, State Service Group A (Amendment) Rules, 2016.

2. In the Haryana Fisheries Department, State Service Group A Rules, 1980 (hereinafter called that said rules), in rule 9, for Clause (b), the following Clause shall substituted, namely:—

"(b) in case of Joint Director Fisheries, by promotion from amongst the Deputy Director Fisheries, Deputy Director Fisheries (Hatchery), Deputy Director Fisheries (Statistics), District Fisheries Officer, Fisheries Farm Manager, Fisheries Research Officer.".

3. In the said rules, for Apendix B, the following Appendix shall be substituted, namely:—

"APPENDIX-B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1.	Director, Fisheries	____	**By promotion** (i) B.F.Sc. from recognized University with two years diploma from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai; Or M.Sc. in Fisheries Science/M.Sc. Zoology with specialization in Fish and Fisheries as regular course from a recognized University; and (ii) three years experience as Joint Director Fisheries; Or five years experience as Deputy Director Fisheries/Deputy Director Fisheries (Hatchery)/ Deputy Director Fisheries (Statistic). **By transfer or deputation -** (i) M.Sc. Zoology or its equivalent from a recognized University. (ii) eight year experience in group 'A' service in State or Central Government out of which five year experience in Planning Development and Extension ; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education;

Serial Number	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
2.	Joint Director Fisheries	---------	**By promotion** (i) M.Sc. in Fisheries /M.Sc. Zoology with specialization in Fish and Fisheries on regular basis from a recognized University; Or B.F.Sc. from a recognized University with two years Diploma from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai; and (ii) two years experience as Deputy Director Fisheries/ Deputy Director Fisheries (Hatchery)/ Deputy Director Fisheries (Statistic) Or eight years experience as District Fisheries Officer/Fisheries Farm Manager/Fisheries Research Officer;
3.	Deputy Director Fisheries, Deputy Director Fisheries (Hatchery), Deputy Director Fisheries (Statistics)-	**By Direct Recruitment** I (i) M.Sc. Fisheries / M.Sc. Zoology with specialization in Fish and Fisheries as regular course from recognized University; Or Master degree from Central Institute of Fisheries Education (Deemed University) in Fisheries Resources Management or Inland Fisheries; Or B.F.Sc./B.Sc. from a recognized University with Zoology as one of the subject as regular course with post graduate Diploma in Fisheries Science (two years) Diploma from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai;	**By promotion** (i) B.F.Sc./ B.Sc. from recognized University with Zoology as one of the subject as regular course; and (ii) eight years experience as District Fisheries Officer/ Fisheries Farm Manager/Fisheries Research Officer; Or M.Sc. Fisheries/ M.Sc. Zoology with specialization in Fish and Fisheries as regular course from recognized University; Or Master degree from Central Institute of Fisheries Education (Deemed University) in Fisheries Resources Management or Inland Fisheries; Or B.F.Sc./B.Sc. from a recognized University with Zoology as one of the subject as regular course with post graduate Diploma in Fisheries Science (two years) Diploma from Central Institute of Fisheries

Serial Number	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
		(ii) five years experience as Group 'B' officer in the State/Central Institute dealing with Fisheries Administration, Development, Planning, Research and Management; Or II.(i) B.F.Sc./B.Sc. from a recognized University with Zoology as one of the subject as regular course with one year post graduate Training from Institute of India Council of Agricultural Research; and (ii) Six years experience as Group 'B' Officer from State/Central Institute dealing with Fisheries Administration Development Planning, Research and Management; (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.	Education, Mumbai; and (ii) five years experience in Group 'B' service dealing with Fisheries Administration, Development, Planning, Research and Management; **By transfer or deputation** (i) B.F.Sc./B.Sc. from a recognized University with Zoology as one of the subject as regular course with one year post graduate Training from Institute of Indian Council of Agricultural Research; (ii) six years experience as Group 'B' Officer from State/Central Institute dealing with Fisheries Administration Development Planning, Research and Management; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.".

VIRENDER SINGH KUNDU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Fisheries Department.

54110—L.R.—H.G.P., Chd.